कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 324/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 18.08.2026

थाना–तरवां, जनपद आजमगढ़

ब्यूटी पार्लर में चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के ₹25,050/- बरामद

ब्यूटी पार्लर से ₹40,200/- चोरी करने की घटना का किया गया सफल अनावरण।

अभियुक्त के कब्जे से चोरी की धनराशि ₹25,050/- बरामद।

सीसीटीवी फुटेज एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की पहचान कर की गयी गिरफ्तारी।

पूर्व की घटना—

दिनांक 16.08.2026 को वादी संजय कुमार मौर्य पुत्र झिल्लर मौर्य, निवासी ग्राम उंचहुवां, पोस्ट उंचहुवां, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 13/14.08.2026 की रात्रि करीब 01:20 बजे वह अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान गांव का ही विनोद चौहान पुत्र हरिनाथ चौहान, निवासी ग्राम उंचहुवां (जोलवरिया), पोस्ट उंचहुवां, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ पीछे से घर में चढ़कर ब्यूटी पार्लर की दुकान में रखा ₹40,200/- चोरी कर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई थी। तहरीर के आधार पर थाना तरवां पर मु0अ0सं0 175/2026 धारा 333, 305, 331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 रमेश कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण—

आज दिनांक 18.08.2026 को उ0नि0 रमेश सिंह मय हमराह पुलिस बल के उंचहुआ तिराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त विनोद चौहान पुत्र हरिनाथ चौहान, उम्र करीब 24 वर्ष, को जुंआ गांव जाने वाले मार्ग पर दर्रो मोड़ स्थित पुलिया के पास से समय करीब 06:35 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **₹25,050/- चोरी की धनराशि** बरामद हुई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 175/2026 धारा 333, 305, 331(4) बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी—

₹25,050/- चोरी की धनराशि।

गिरफ्तार अभियुक्त—

विनोद चौहान पुत्र हरिनाथ चौहान, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम उंचहुवां (जोलवरिया), पोस्ट उंचहुवां, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

उ0नि0 रमेश सिंह, का0 कमलेश यादव, का0 विशाल यादव, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

थाना–कोतवाली, जनपद आजमगढ़

साइबर फ्रॉड के ₹4,500/- थाना कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्यवाही से पीड़ित के खाते में वापस कराये गये

साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत प्राप्त होते ही साइबर पोर्टल के माध्यम से त्वरित कार्यवाही

साइबर पुलिस टीम के प्रयास से फ्रॉड की पूरी धनराशि ₹4,500/- पीड़ित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरण / बरामदगी —

आवेदक सलमान खान, निवासी जालन्धरी, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ के मोबाइल पर मैसेज प्राप्त हुआ, जिसमें उनके बैंक खाते से बिना उनकी जानकारी के ₹4,500/- कटने की जानकारी हुई। आवेदक द्वारा न तो किसी व्यक्ति को अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी दी गयी थी और न ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक किया गया था।

आवेदक द्वारा बिना देरी किये साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करायी गयी। थाना कोतवाली के साइबर प्रभारी उ0नि0 सागर कुमार रंगू एवं उनकी टीम द्वारा साइबर पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या–23110250162503 पर त्वरित कार्यवाही की गयी। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की गयी सम्पूर्ण धनराशि ₹4,500/- आवेदक के खाते में वापस करायी गयी।

आमजन से अपील—

आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि यदि आपके बैंक खाते से आपकी जानकारी के बिना कोई धनराशि निकल जाती है तो **बिना किसी देरी के साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें** अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। साथ ही अपने संबंधित बैंक को लिखित रूप से सूचना दें तथा नजदीकी थाने पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क से संपर्क करें, जिससे धनराशि को होल्ड/वापस कराने हेतु त्वरित कार्यवाही की जा सके।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम—

उ0नि0 सागर कुमार रंगू, का0 नीरज पटेल, का0 राजन कुमार गौड़, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

थाना–सिधारी, जनपद आजमगढ़

ठगी करने वाला 01 शातिर अंतर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ठगी की गयी 01 जोड़ी पायल बरामद

महिला को 20 लाख रुपये होने का झांसा देकर आभूषण ठगने की घटना का किया गया सफल अनावरण।

अभियुक्त के कब्जे से ठगी की गयी 01 जोड़ी सफेद धातु की इस्तेमाली घुंघरूदार पायल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद मैनपुरी में भी ठगी/धोखाधड़ी से संबंधित अभियोग पंजीकृत

पूर्व की घटना—

दिनांक 23.07.2026 को वादिनी श्रीमती शुभावती देवी पत्नी कैलाश यादव, निवासी ग्राम चलिसवां, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ द्वारा बताया गया कि वह दिन में करीब 13:30 बजे अपने घर से मायके बिलरियागंज जा रही थीं। रास्ते में दो अपरिचित व्यक्ति मिले, जिन्होंने बातचीत में उन्हें अपने झांसे में लेकर बऊरहवा बाबा मंदिर के सामने ले गये। वहां उक्त व्यक्तियों द्वारा वादिनी के कान की झाली, गले का लॉकेट एवं चांदी की पायल ले ली गयी तथा बदले में कपड़े में सिली हुई कागज की गड्डी देते हुए बताया गया कि इसमें ₹20 लाख रुपये हैं। वादिनी द्वारा वहां से टेम्पो पकड़कर आगे जाने पर कागज की गड्डी होने की जानकारी हुई। इस प्रकार उक्त व्यक्तियों द्वारा वादिनी को बहला-फुसलाकर ठगी की गयी। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 305/2026 धारा 318(4), 3(5), 317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण—

दिनांक 18.08.2026 को उ0नि0 मनीष मिश्र मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त अर्जुन सोलंकी पुत्र नाथूराम सोलंकी, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी जे0जे0 कालोनी सेवदा, थाना कंझावला, जनपद रोहिणी, दिल्ली को रेलवे स्टेशन तिराहे के पास से समय करीब 13:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से ठगी की घटना से संबंधित 01 जोड़ी सफेद धातु की इस्तेमाली घुंघरूदार पायल बरामद हुई।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 305/2026 धारा 318(4), 3(5), 317(2) बीएनएस, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी— 01 जोड़ी सफेद धातु की इस्तेमाली घुंघरूदार पायल।

गिरफ्तार अभियुक्त—

अर्जुन सोलंकी पुत्र नाथूराम सोलंकी, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी जे0जे0 कालोनी सेवदा, थाना कंझावला, जनपद रोहिणी, दिल्ली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

उ0नि0 मनीष मिश्र, का0 नीरज यादव, रि0का0 अजीत सिंह, रि0का0 नीरज यादव, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

थाना–तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

साइबर फ्रॉड के ₹30,000/- थाना तहबरपुर पुलिस की त्वरित कार्यवाही से पीड़ित के खाते में वापस कराये गये

फ्रॉडर द्वारा परिचित बनकर भेजे गये फर्जी ₹45,000/- के मैसेज पर विश्वास कर पीड़ित ने ₹30,000/- कर दिये थे ट्रांसफर।

साइबर हेल्पलाइन नंम्बर 1930 पर तत्काल शिकायत के बाद साइबर पुलिस टीम ने ₹30,000/- की धनराशि होल्ड करायी।

पूर्व की घटना—

दिनांक 12.06.2026 को आवेदक देवेन्द्र नाथ राय पुत्र रामलखन राय, निवासी ग्राम बीबीपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर स्वयं को *गुप्ता जी* बताते हुए कहा गया कि उनके पिता उसे भली-भांति जानते हैं। उक्त व्यक्ति ने बताया कि उसका रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती है तथा वह आवेदक के खाते में ₹15,000/- भेज रहा है, जिसे उसके घरवालों के खाते में भेजना है।

कुछ देर बाद आवेदक के मोबाइल पर ₹45,000/- प्राप्त होने का मैसेज आया। आवेदक द्वारा बिना बैंक खाते का बैलेंस चेक किये विश्वास में आकर फ्रॉडर के खाते में ₹30,000/- ट्रांसफर कर दिये गये। ठगी का एहसास होने पर आवेदक द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करायी गयी, जिसका एक्नॉलेजमेंट नं0 33106260135980 है।

धनराशि वापसी का विवरण—

साइबर शिकायत की जांच उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी द्वारा की गयी। जांच में पाया गया कि आवेदक द्वारा अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते से दिनांक 12.06.2026 को ट्रांजेक्शन नं0 616330234470 के माध्यम से ₹30,000/- फ्रॉडर के खाते में भेजे गये थे। साइबर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्रॉडर के खाते में उक्त ₹30,000/- की धनराशि होल्ड करायी गयी। आवेदक को आवश्यक न्यायालयी प्रक्रिया के संबंध में अवगत कराया गया। कोर्ट आर्डर प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित बैंक को ई-मेल के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्राचार किया गया, जिसके फलस्वरूप ₹30,000/- की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में वापस करा दी गयी।

साइबर पुलिस टीम—

उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी**,** म0का0 दिव्या शुक्ला**,** का0 किशन कुमार मिश्रा**,** थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना–दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

अभियुक्त के विरुद्ध थाना दीदारगंज पर पॉक्सो एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट सहित गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत।

पूर्व की घटना—

दिनांक 19.05.2026 को वादिनी द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री को अभिमन्यु यादव उर्फ मन्नु पुत्र लालचन्द यादव, निवासी फतेहपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 91/2026 धारा 87, 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी थी। अभियुक्त उक्त अभियोग में वांछित चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण—

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरन पाल सिंह के निर्देशन तथा थाना प्रभारी दीदारगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.08.2026 को वांछित अभियुक्त अभिमन्यु यादव उर्फ मन्नु पुत्र लालचन्द यादव, निवासी फतेहपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ को गद्दोपुर चौराहा से समय करीब **07:20 बजे** नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 91/2026, धारा 87, 137(2), 64(1) बीएनएस, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त—

अभिमन्यु यादव उर्फ मन्नु पुत्र लालचन्द यादव, निवासी फतेहपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

व0उ0नि0 अनिल कुमार सिंह, का0 सोनू यादव, का0 अंकित कुशवाहा, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

थाना–कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

➡ किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में विवेचना के दौरान बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं की बढ़ोत्तरी के बाद वांछित अभियुक्त को थाना कन्धरापुर पुलिस ने रेलवे स्टेशन आजमगढ़ से गिरफ्तार किया।

पूर्व की घटना—

दिनांक 03.07.2026 को **वादी मुकदमा** द्वारा थाना उपस्थित होकर सूचना दी गयी कि वादी मुकदमा की **नाबालिग पुत्री** को दिनांक 30.06.2026 को करीब 13:00 बजे अभियुक्त **विन्द्रेश चौहान पुत्र स्व0 द्विज चौहान, निवासी राघवपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़** द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया तथा घटना में चन्द्रशेखर चौहान एवं अभियुक्त की माता की भी संलिप्तता बतायी गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कन्धरापुर पर **मु0अ0सं0 168/2026 धारा 137(2), 87, 61(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। दिनांक 18.08.2026 को किशोरी की बरामदगी के उपरान्त उसके धारा 180 बीएनएसएस के अन्तर्गत बयान अंकित किये गये। किशोरी के बयान एवं शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के अवलोकन के आधार पर अभियोग में **धारा 64(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण—

दिनांक 18.08.2026 को व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **विन्द्रेश चौहान पुत्र स्व0 द्विज चौहान, निवासी राघवपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 29 वर्ष** को **रेलवे फाटक, रेलवे स्टेशन आजमगढ़** से समय करीब **09:15 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 168/2026 धारा 137(2), 87, 61(2), 64(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त—

विन्द्रेश चौहान पुत्र स्व0 द्विज चौहान, निवासी राघवपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 29 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. **व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह**, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
2. **उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह**, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
3. **का0 अजय यादव**, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
4. **का0 रामशरन**, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
5. **म0आ0 नीतू सिंह**, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 18.08.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा मारने पीटने व जाति सूचक शब्दो द्वारा अपमानित करने के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 3-3 वर्ष का साधारण कारावास व 26-26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना फूलपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें मारने पीटने व जाति सूचक शब्दो द्वारा अपमानित करने के आरोप मे प्रत्येक को 3-3 वर्ष का साधारण कारावास व 26-26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 18.05.2006 को वादी मुकदमा राधेश्याम कन्नौजिय पुत्र दासू कन्नौजिय निवासी विरादर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. संतोष उर्फ गुडडू यादव पुत्र बुद्धिराम यादव 2. बुद्धिराम यादव पुत्र बरसातू 3. सुरेश यादव पुत्र रजई निवासीगण विरादर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा मुझे दूध बेचकर आते समय रास्ते मे पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डण्डे से मारना पीटना व जातिसूचक शब्दो के द्वारा अपमानित करना।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-479/2006 धारा- 323,504,506 भादवि व 3(1)10 SC/ST Act पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमे उपरोक्त मे 9 गवाहो को परीक्षित कराया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 18.08.2026 को मा0 न्यायालय Spl(J) SC/ST कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. संतोष उर्फ गुडडू यादव पुत्र बुद्धिराम यादव 2. बुद्धिराम यादव पुत्र बरसातू 3. सुरेश यादव पुत्र रजई निवासीगण विरादर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 3-3 वर्ष का साधारण कारावास व 26-26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।